१. संविधान से हमारा परिचय

चलो, थोड़ा-सा दोहरा लें

इसके पूर्व की कक्षाओं में नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तकों में हमने नियमों की आवश्यकता के विषय में बहुत सारे बिंदुओं को समझा है । परिवार, विद्यालय, हमारा गाँव, महानगर का कार्यव्यापार सुचारु रूप से चले; इसके लिए हम संकेतों और नियमों का पालन करते हैं। परिवार के नियम नहीं होते हैं परंतु प्रत्येक परिवार के सदस्य कैसा आचरण करेंगे; इस बारे में कुछ संकेत होते हैं । विद्यालय में प्रवेश, गणवेश और अध्ययन के विषय में नियम होते हैं । विविध स्पर्धाओं के भी नियम होते हैं । हमारे गाँव और महानगरों का शासन भी नियमों के अनुसार चलता है । इसी भाँति हमारे देश का शासन भी नियमों अर्थात कानून के अनुसार चलता है । परिवार, विद्यालय, गाँव, महानगर से संबंधित नियमों का स्वरूप सीमित होता है परंतु देश के शासन से संबंधित कानून अथवा प्रावधान व्यापक होते हैं ।

समीर और वंदना के मन में जो प्रश्न उपस्थित हुए हैं; क्या तुम भी उन प्रश्नों को पूछना चाहते हो ?

- देश का शासन जिन कानूनों या प्रावधानों के अनुसार चलता है; वे नियम कहाँ होते हैं ?
- उन नियमों को कौन बनाता है ? क्या उन नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है?

इन प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए पाठ्यांश में तुम्हें मिलते हैं क्या ? यह देखो ।

संविधान : अर्थ

देश का शासन चलाने से संबंधित जो कानून एवं प्रावधान एकत्रित और सूत्रबद्ध पद्धति से जिस पुस्तक में उल्लिखित रहते हैं; उसे संविधान कहते हैं । इसका अर्थ यह है कि संविधान देश के प्रशासन से संबंधित कानूनों और प्रावधानों का लिखित दस्तावेज है । जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि सरकार का गठन करते हैं । संविधान के कानून के अनुसार ही प्रशासन चलाना शासन के लिए अनिवार्य होता है । संविधान में उल्लिखित प्रावधान अथवा कानून मूलभूत होते हैं। सरकार संविधान के साथ विसंगति रखनेवाले कानूनों का निर्माण नहीं कर सकती । यदि सरकार ऐसा करती है तो न्यायपालिका उन कानूनों को रद्द कर सकती है ।

संविधान में उल्लिखित कानून अथवा प्रावधान :

संविधान में उल्लिखित कानून अथवा प्रावधान विभिन्न विषयों से संबंधित होते हैं । जैसे- नागरिकत्व, नागरिकों के अधिकार, नागरिक और शासन संस्थाओं के बीच के संबंध, सरकार द्वारा किए जानेवाले कानूनों के विषय, चुनाव, सरकार की सीमाएँ एवं राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र आदि ।

सभी देशों ने संविधान के अनुसार शासन चलाने के सिद्धांत को स्वीकार किया है परंतु ऐसा होने पर भी प्रत्येक देश के संविधान का स्वरूप एक-दूसरे से भिन्न होता है । इतिहास, समाज संरचना, संस्कृति, परंपरा आदि बातों में अलग-अलग देशों में विभिन्नता अथवा अलगपन पाया जाता है । इसी तरह प्रत्येक राष्ट्र की आवश्यकताएँ और उद्देश्य भी एक -दूसरे-से भिन्न होते हैं । परिणामस्वरूप प्रत्येक राष्ट्र अपनी-अपनी आवश्यकताओं और उद्देश्यों के अनुरूप अपना संविधान तैयार करने का प्रयास करता है।

क्या तुम जानते हो ?

अमेरिका, इंग्लैंड का शासन संविधान के अनुसार चलता है परंतु दोनों के संविधानों में अंतर है । जैसे - अमेरिका का संविधान ई.स. १७८९ में कार्यान्वित हुआ। यह संविधान लिखित स्वरूप में है तथा उसमें केवल ७ धाराओं का समावेश है । यद्यपि संविधान लागू होकर २२५ वर्षों से भी अधिक समय बीत गया है; फिर भी अमेरिका का शासन आज भी उसी संविधान के अनुसार चलाया जाता है ।

इंग्लैंड का इतिहास अनेक शताब्दियों का रहा है । इस देश में शासन से संबंधित कानून संकेतों, रूढ़ियों और परंपराओं के रूप में पाए जाते हैं । फिर भी इन कानूनों का पालन बड़ी कड़ाई से किया जाता है । ई.स.१२१५ में मैग्नाकार्ट अनुबंध संपन्न हुआ; तब से इंग्लैंड का संविधान विकसित होता गया । इसमें कुछ ही लिखित कानूनों का समावेश है फिर भी इंग्लैंड का संविधान प्रमुखतः अलिखित स्वरूप में है ।

चलो, खोजें

अपने पसंदीदा किसी एक देश के संविधान के बारे में निम्न मुद्दों के आधार पर जानकारी प्राप्त करो :-

देश का नाम, संविधान निर्माण का वर्ष, संविधान की दो विशेषताएँ ।

संविधान की आवश्यकता : संविधान में उल्लिखित कानूनों/प्रावधानों के अनुसार सरकार चलाने के अनेक लाभ हैं ।

- सरकार के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह कानून के दायरे में रहकर ही प्रशासन चलाए । फलस्वरूप सरकार को प्राप्त अधिकारों अथवा सत्ता का दुरुपयोग किए जाने की संभावना कम रहती है ।
- संविधान में नागरिकों के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता का उल्लेख रहता है । सरकार उन अधिकारों को छीनकर नहीं ले सकती । इससे नागरिकों के अधिकार एवं उनकी स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है ।
- संविधान के कानूनों/प्रावधानों के अनुसार प्रशासन चलाना ही कानून का राज्य स्थापित करने जैसा है क्योंकि इसमें सत्ता के दुरुपयोग अथवा मनमाना प्रशासन करने के लिए अवसर नहीं रहता है ।
- संविधान के अनुसार प्रशासन चलता देख सरकार के प्रति आम लोगों में विश्वास निर्माण हो जाता है । इसके द्वारा वे प्रशासन में प्रतिभागी बनने के लिए उत्सुक हो जाते हैं । आम लोगों की बढ़ती प्रतिभागिता के कारण लोकतंत्र अधिक दृढ़ बनता है।
- संविधान अपने-अपने देश के सम्मुख राजनीतिक आदर्श उपस्थित करता है । संविधान के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ना संबंधित देश पर बंधनकारक होता है । इसके द्वारा विश्व शांति और सुरक्षा तथा मानवीय अधिकारों के संवर्धन हेतु पोषक वातावरण का निर्माण होता है ।
- संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का भी उल्लेख रहता है । फलस्वरूप नागरिकों के उत्तरदायित्व भी निश्चित हो जाते हैं ।

प्रशासन किसे कहते हैं ?

किसी भी राष्ट्र के प्रशासन में किन बातों का समावेश रहता है ?

देश की सीमाओं की तथा विदेशी आक्रमण से जनता की रक्षा करने से लेकर दरिद्रता उन्मूलन, रोजगार निर्माण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा, उद्योग-व्यवसायों को प्रोत्साहन देना, दुर्बल वर्गों का संरक्षण, महिला, शिशु और आदिवासियों की उन्नति हेतु उपाय योजना करना जैसे अनगिनत विषयों पर सरकार (शासन) को कानून बनाने पड़ते हैं । कानून के कार्यान्वयन द्वारा समाज में आवश्यक परिवर्तन लाने पड़ते हैं । संक्षेप में कहना हो तो आधुनिक समय में सरकार को अंतरिक्ष अनुसंधान से लेकर सार्वजनिक स्वच्छता तक के सभी विषयों में निर्णय करने पड़ते हैं । इसी को प्रशासन कहा जाता है ।

संविधान का अर्थ और उसकी आवश्यकता को समझ लेने पर अब हम भारत के संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ; यह देखेंगे ।

संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि : भारत के संविधान निर्माण का प्रारंभ ई.स.१९४६ से ही हुआ । स्वतंत्र भारत का प्रशासन अंग्रेजों के कानून के अनुसार नहीं चलेगा अपितु भारतीयों द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार चलेगा, इस बात के प्रति स्वतंत्रता आंदोलन के नेता आग्रही थे । फलतः

भारत का संविधान बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया । उस समिति को 'संविधान सभा' कहा जाता है ।

संविधान सभा : हमारा देश १५ अगस्त १९४७ को स्वतंत्र हुआ । इसके पूर्व भारत पर अंग्रेजों का शासन था । अंग्रेज सरकार ने राज्य प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से मुंबई प्रांत, बंगाल प्रांत और मद्रास प्रांत जैसे विभाग गठित किए थे । इन प्रांतों का प्रशासन वहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता था । इसी भाँति देश के कुछ हिस्सों का प्रशासन वहाँ के स्थानीय नरेश चलाते थे । इन क्षेत्रों को रियासतें कहते थे और उन रियासतों के प्रमुख को रियासतदार कहते थे । संविधान सभा में प्रांतों और रियासतों के प्रतिनिधियों का समावेश था ।

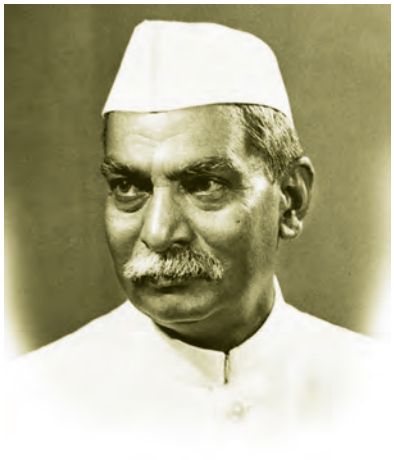

डॉ.राजेंद्रप्रसाद

संविधान सभा में कुल २९९ सदस्य थे । डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे ।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर का योगदान :

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रारूप (मसौदा) समिति के अध्यक्ष थे । उन्होंने विभिन्न देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया था । उन्होंने रात-दिन अध्ययन एवं चिंतन कर संविधान का प्रारूप तैयार किया।

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान का प्रारूप संविधान सभा के सम्मुख रखा गया। संविधान की एक-एक धारा पर विचार विमर्श हुआ । कई संशोधन एवं सुधार सुझाए गए। संविधान सभा के समक्ष संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करने, प्रारूप से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने तथा संविधान सभा के अभिप्रायों के अनुसार मूल प्रारूप में परिवर्तन करने, प्रत्येक कानून और प्रावधान को त्रुटिरहित बनाने का कार्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने किया । भारत के संविधान निर्माण में उनके द्वारा दिए गए इस योगदान के कारण उन्हें 'भारतीय संविधान का शिल्पकार' कहते हैं ।

संपूर्ण संविधान लिखकर पूर्ण होने पर संविधान सभा ने उसे मान्यता प्रदान की और २६ नवंबर १९४९ को उसको स्वीकार किया । अतः २६ नवंबर का दिन 'संविधान दिवस' के रूप में मनाया जाता है । संविधान के कानूनों एवं प्रावधानों के अनुसार

यह बात कितनी गौरवपूर्ण है !

- संविधान सभा में सभी निर्णय चर्चा और विचार-विमर्श के आधार पर लिए गए । विरोधी मतों के प्रति आदर और उनके उचित अभिप्रायों को स्वीकार किया जाना संविधान सभा के कामकाज की विशेषता थी ।
- संविधान लिखकर पूर्ण होने में २ वर्ष, ११ महीने और १७ दिन का समय लगा ।
- मूल संविधान में २२ अनुभागों, ३९५ धाराओं और ८ परिशिष्टों का समावेश था ।

क्या तुम जानते हो ?

संविधान सभा में डॉ.राजेंद्रप्रसाद, पं.जवाहरलाल नेहरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, जे.बी. कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, दुर्गाबाई देशमुख, हंसाबेन मेहता जैसे अनेक मान्यवर सदस्य थे । कानून विशेषज्ञ बी. एन. राव की संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्ति की गई थी।

देश का शासन २६ जनवरी १९५० से चलना प्रारंभ हुआ । इस दिन से भारत का गणतांत्रिक राज्य अस्तित्व में आया । अतः हम २६ जनवरी का दिन 'गणतंत्र दिवस' के रूप में मनाते हैं ।

पं.जवाहरलाल नेहरू

सरदार वल्लभभाई पटेल

मौलाना आजाद

सरोजिनी नायडू

करके देखो

तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारी कक्षा का प्रशासन नियमों के अनुसार चलना चाहिए । उन नियमों में तुम किन नियमों का समावेश करोगे ? तो फिर चलो... कक्षा के लिए नियमावली बनाओ ।

क्या तुम जानते हो ?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर का योगदान जलप्रबंधन, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, पत्रकारिता, अर्थनीति, सामाजिक न्याय जैसे विभिन्न क्षेत्रों में रहा ।

भारतीय संविधान का प्रारूप डॉ. राजेंद्र प्रसाद को सौंपते हुए डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

स्वाध्याय

१. निम्न अवधारणा को स्पष्ट करो :

(१) संविधान में उल्लिखित कानून/प्रावधान

(२) संविधान दिवस

२. चर्चा करो :

(१) संविधान समिति का गठन किया गया ।

(२) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार कहते हैं ।

(३) देश के प्रशासन में समाविष्ट बातें ।

३. उचित विकल्प चुनो :

(१) किस देश का संविधान पूर्णतः लिखित स्वरूप में नहीं है ?

(अ) अमेरिका (ब) भारत

(क) इंग्लैंड (ड) इनमें से कोई नहीं ।

(२) संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे ?

(अ) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

(ब) डॉ. राजेंद्रप्रसाद

(क) दुर्गाबाई देशमुख

(ड) बी.एन.राव

(३) निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे ?

(अ) महात्मा गांधी

(ब) मौलाना आजाद

(क) राजकुमारी अमृत कौर

(ड) हंसाबेन मेहता

(४) प्रारूप (मसौदा) समिति के अध्यक्ष कौन थे ?

(अ) डॉ. राजेंद्र प्रसाद

(ब) सरदार वल्लभभाई पटेल

(क) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर

(ड) जे.बी.कृपलानी

४. अपने विचार लिखो :

(१) सरकार को किन-किन विषयों से संबंधित कानून बनाने पड़ते हैं ?

(२) २६ जनवरी का दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं ?

(३) संविधान में उल्लिखित कानूनों/प्रावधानों के अनुसार शासन चलाने के लाभ ।

उपक्रम

(१) संविधान सभा में विभिन्न समितियों का गठन हुआ। उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त करो और समितियों के शीर्षकों की सारिणी बनाओ । शीर्षकों सहित चित्रों का संग्रह करो ।

(२) विद्यालय में 'संविधान दिवस' किस प्रकार मनाया गया । इसका प्रतिवेदन तैयार करो ।

(३) संविधान सभा में समाविष्ट सदस्यों के चित्रों का संग्रह बनाओ ।